



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 585 राँची, बुधवार, 12 आश्विन, 1945 (श०)
4 अक्टूबर, 2023 (ई०)

समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

16 सितम्बर, 2014

संख्या-स०क०/ब०ना०अधि०-29/2008-1800--माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम' 2007 (2007 का केन्द्रीय अधिनियम 56) की धारा-32 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य के राज्यपाल निम्नलिखितनियम बनाते हैं:

अध्याय - I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:-

- (i) ये नियम झारखण्ड राज्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियम '2014 कहे जा सकते हैं ।
- (ii) ये राजपत्र में, इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. परिभाषा:-

- (1) इस नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) “अधिनियम” से अभिप्राय है, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम ‘2007 (2007 का 56);
- (ख) “आवेदन” से अभिप्राय है, धारा-5 के अधीन न्यायाधिकरण में किया गया आवेदन
- (ग) “रक्त सम्बन्ध” से अभिप्राय है, पुरुष तथा महिला संवासी के संदर्भ में पिता-पुत्री, माता-पुत्र तथा भाई-बहन (कजन नहीं)
- (घ) “प्ररूप” से अभिप्राय है, इस नियमों से संलग्न प्ररूप
- (ङ) “संवासी” से अभिप्राय है, वृद्ध आश्रम में निवास करने के लिए सम्यक रूप से प्रविष्ट “वरिष्ठ नागरिक”
- (च) “विरोधी पक्षकार” से अभिप्राय है, पक्षकार जिसके विरुद्ध भरण-पोषण के लिए धारा-4 के अधीन आवेदन दायर किया गया है।
- (छ) “पीठासीन अधिकारी” से अभिप्राय है, धारा-7 की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट भरण-पोषण अधिकरण की अध्यक्षता करने के लिए या 15 की उपधारा - (2) के अधीन अपील अधिकरण के रूप में नियुक्त अधिकारी
- (ज) “अनुसूची” से अभिप्राय है, इस नियमों से संलग्न अनुसूची
- (झ) “धारा” से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा
- (ञ) “राज्य सरकार” से अभिप्राय है, झारखण्ड राज्य की सरकार
- (2) इस नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय -II

भरण-पोषण अधिनियम तथा सुलह अधिकारियों के लिए प्रक्रिया

3. सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल

(1) प्रत्येक अधिकरण धारा-6 की उपधारा (6) के अधीन सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के पैनल तैयार करेगा, जिसमें धारा-18 के अधीन नामित भरण-पोषण अधिकारी शामिल होंगे।

(2) धारा-18 के अधीन नामित भरण-पोषण अधिकारियों से भिन्न उप नियम (1) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन चुने जायेंगे अर्थात:-

- (क) वह संगठन से सम्बद्ध होना चाहिए जो सेवा के बेदाग रिकार्ड सहित कम से कम दो वर्ष के लिए वरिष्ठ नागरिकों तथा/या कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए या शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, उन्मूलन, महिलाओं की अधिकारिता, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास या सम्बन्धित क्षेत्रों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

(ख) वह संगठन का वरिष्ठ पदधारी होना चाहिए

(ग) उसे विधि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए

बशर्ते कि व्यक्ति जो उपरोक्त प्रकार के किसी संगठन से सम्बद्ध नहीं है, को भी उपनियम (1) में वर्णित पैनल में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन शामिल किया जा सकता है, अर्थात:-

(i.) उसका खण्ड (क) में वर्णित एक या अधिक क्षेत्रों में अच्छा तथा वेदाग लोक सेवा का रिकार्ड होना चाहिये, तथा

(ii.) उसे विधि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए

(3) अधिकरण प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार क्रमशः 1 ली जनवरी तथा 1 ली जुलाई को सामान्य जानकारी के लिए उप नियम (1) में वर्णित पैनल पर प्रकाशित करेगा तथा हर वार कोई परिवर्तन इसमें प्रभावित है ।

4. भरण-पोषण तथा इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दायर करने के लिए प्रक्रिया

(1) धारा-4 के अधीन भरण-पोषण के लिए आवेदन प्ररूप 'क' में दिया जाय, धारा- 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में अधिकथित रीति से 5 रु0 की न्यायालय फीस स्टाम्प ली जायेगी ।

(2) उप- नियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई करेगा:-

(क) भरण-पोषण दावा मामले के रजिस्टर में दर्ज करके इसके आवश्यक व्यौरों, जो राज्य सरकार निदेश करे, ऐसे प्ररूप में रखेगा तथा

(ख) प्ररूप 'ख' में इसकी पावती देगा, नियम 5 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आवेदक या दस्ती सुपुर्दगी के मामले में उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, तथा अन्य मामलों में डाक द्वारा इसका प्रेषण तथा पावती के साथ-साथ आवेदन की पंजीकरण संख्या विनिर्दिष्ट करेगा

(3) जहाँ अधिकरण भरण-पोषण दावे का संज्ञान लेता है, पीठासीन अधिकारी स्वप्रेरणा से अधिकरण के कर्मचारिवृंद के माध्यम से यथा संभव यथार्थता के रूप में पूर्ण प्ररूप 'क' में प्राप्त करेगा तथा यथा संभव सम्बद्ध वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता या कोई व्यक्ति या उस द्वारा प्राधिकृत संगठन द्वारा इसको अधिप्रामाणित करेगा तथा इसे उक्त उप-नियम (1) के खण्ड (क) के अनुसार पंजीकृत करेगा ।

5. आवेदन की प्रारम्भिक संवीक्षा

(1) धारा-5 की उप धारा-(1) के अधीन आवेदन प्राप्ति पर अधिकरण निम्नलिखित से संतुष्ट करेगा:-

(क) आवेदन पूर्ण है; तथा

(ख) विरोधी पक्षकार प्रथम दृष्टया से धारा-4 के निबंधनों में आवेदक को रखने के लिए वाध्यता रखता है ।

(2) यदि जहाँ अधिकरण आवेदन में कोई कमी पाता है, तो आवेदक को युक्ति-युक्त नियत समय के भीतर ऐसी कमी को ठीक करने का निदेश देगा ।

6. विरोधी पक्षकार को नोटिस

(1) किसी समय अधिकरण नियम-5 के उप नियम (1) में वर्णित बिन्दुओं पर संतुष्ट हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुरक्षण के लिए आवेदन दायर किया गया है, को जारी किये जानेवाले नोटिस प्ररूप 'ग' में नोटिस निर्दिष्ट करते हुए उसको कारण बताओं नोटिस क्यों न आवेदन पत्र के प्रति तथा इसके अनुलग्नकों सहित, निम्नलिखित रीति प्रदान किया जाए:-

(क) आवेदक के माध्यम से दस्तीसुपुर्दगी (दस्ती) द्वारा यदि वह इस प्रकार आवेदिका तामिलकर्ता के माध्यम से इच्छुक हो, या

(ख) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा ।

(2) नोटिस में तथा कारण बनाकर, लिखित में विनिर्दिष्ट की गयी निति को व्यक्ति को स्वयं उपस्थित होने के लिए विरोधी पक्षकार की अपेक्षा करेगा, क्यों न आवेदन प्रदान किया जाए तथा इसको सूचित भी करेगा, यदि यह इसकी प्रतिक्रिया करने में असफल रहता है, तो अधिकरण एकपक्षीय प्रक्रिया करेगा ।

(3) उप नियम (1) तथा (2) के अधीन नोटिस जारी करने के साथ-साथ आवेदक (आवेदको को) को प्ररूप 'घ' में जारी नोटिस द्वारा, उपनियम (2) में वर्णित तिथि को भी सूचित करेगा।

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश -V के उपबन्ध उपनियम (1) तथा (2) के अधीन नोटिस के तामिल के प्रयोजन के लिए, यथावश्यक परिवर्तन सहित आवेदन करेगा,

7. विरोधी पक्षकार द्वारा अनुपस्थिति के मामले में प्रक्रिया

यदि, नोटिस की तामिल होते हुए भी विरोधी पक्षकार नोटिस की प्रतिक्रिया में कारण बताने में असफल रहता है, तो अधिकरण, आवेदक को साक्ष्य द्वारा तथा ऐसी अन्य जाँच द्वारा, जो वह ठीक समझे, एकपक्षीय प्रक्रिया करेगा, तथा आवेदन के निपटान के आदेश पारित करेगा ।

8. दावे की स्वीकृति के मामले में प्रक्रिया

यदि, नियम -6 के अधीन जारी नोटिस में नियम तिथि को, विरोधी पक्षकार आवेदक के भरण-पोषण के अपने दायित्व के लिए उपस्थित होता है, तथा स्वीकार करता है, तथा दो पक्षकार परस्पर समझौते पर पहुँचते हैं तो अधिकरण तदनुसार आदेश पारित करेगा ।

9. बच्चों या सम्बन्धियों को अभियोजित करने के लिए प्रक्रिया

(1) विरोधी पक्षकार द्वारा आवेदन, धारा- 5 की उपधारा (5) के परन्तुक के अधीन, आवेदक के किसी अन्य बच्चों या सम्बन्धी के अभियोजित करने के लिए नियम-6 के उपनियम (2) के अधीन जारी नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट सुनवाई की प्रथम तिथि को दायर किया जाएगा ।

परन्तु जब कोई ऐसा आवेदन ऐसी प्रथम सुनवाई के बाद ग्रहण नहीं किया जाता, तब विरोधी पक्षकार को अंतिम स्तर पर इसे दायर करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन के प्राप्ति पर, अधिकरण की, यदि प्रथम दृष्टतया पर संतुष्टि हो जाती है कि पक्षकार की सुनवाई के बाद, ऐसे आवेदन की युक्तियुक्तता के बारे, कारण बताकर ऐसे अन्य बच्चों या सम्बन्धी को जारी नोटिस, पक्षकार के रूप में अभियोजित क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा सुनवाई का उसको अवसर देने के बाद उनके अभियोजन या अन्यथा के संबंध में आदेश पारित करेगा,

(3) यदि अधिकरण उपनियम (2) के अधीन अभियोजन के आदेश पारित करता है, तो नियम-8 के अनुसार प्ररूप 'ग' में ऐसे अभियोजित पक्षकार को नोटिस जारी करेगा।

10. सुलह अधिकारी को निर्देश

(1) यदि नियम - 6 के अधीन जारी नोटिस में नियत तिथि को, विरोधी पक्षकार भरण-पोषण दावे के विरुद्ध उपस्थित होता है तथा कारण बताता है, अधिकरण से दोनों पक्षकारों की राय की मांग करेगा चाहे वे सुलह अधिकारी को मामले निर्दिष्ट करे तथा यदि वे उसकी ओर से अपनी इच्छा से अभिव्यक्त करता है, अधिकरण उससे पूछेगा चाहे वे नियम 3 के अधीन तैयार किए गए पैनल में या दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य किसी अन्य व्यक्ति सहित मामले व्यक्ति को निर्दिष्ट करेगा।

(2) यदि दोनों पक्षकार किसी व्यक्ति पर सहमत होते हैं, चाहे नियम- 3 के अधीन पैनल में शामिल हैं, या अन्यथा अधिकरण इस मामले में सुलह अधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा तथा संदर्भ की प्राप्ति की तिथि से एक माह से अनधिक अवधि के भीतर दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य निर्णय का प्रयास करने के लिए सुलह अधिकारी को प्ररूप 'ड.' में पत्र के माध्यम से अनुरोध करते हुए मामला उसे निर्दिष्ट करेगा।

(3) प्ररूप 'ड.' के संदर्भ में आवेदन तथा उसके विरोधी पक्षकारी के उत्तर की प्रतियाँ संलग्न की जायेगी।

11. सुलह अधिकारी की कार्यवाहियाँ

(1) नियम-10 के अधीन संदर्भ की प्राप्ति पर, सुलह अधिकारी यथावश्यक दोनों पक्षकारों के साथ बैठक करेगा तथा संदर्भ की प्राप्ति की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर दोनों पक्षकारों के स्वीकार्य निर्णय करने का प्रयास करेगा

(2) यदि सुलह अधिकारी दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य निर्णय करने में सफल हो जाता है, तो वह दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'च' में निर्णय का ज्ञापन तैयार करेगा तथा अधिकरण से प्राप्त मामले के सभी अभिलेखों के साथ-साथ प्ररूप 'छ' में रिपोर्ट प्रेषित करेगा तथा संदर्भ की प्राप्ति की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर अधिकरण को वापस करेगा।

(3) यदि सुलह अधिकारी नियम-10 के अधीन संदर्भ की प्राप्ति के एक मास की अवधि के भीतर निर्णय करने में असमर्थ हो गया है तो वह ऐसे प्रयास जो निर्णय तथा दो पक्षकारों के बीच मतभेद के बिन्दु जो सुलझाए गए प्रयासों को दर्शाते हुए प्ररूप 'ज' में रिपोर्ट के साथ अभिकरण से प्राप्त किये गए कागज वापस करेगा ।

12. सुलह अधिकारी के समक्ष निर्णय के मामले में अभिकरण द्वारा कार्यवाही

(1) यदि अभिकरण नियम-11 के उप नियम (2) के अधीन निर्णय के ज्ञापन के साथ-साथ अधिकारी से कोई रिपोर्ट प्राप्त करता है तो वह दोनों पक्षकारों को उसके सम्मुख ऐसी तिथि जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, को पेश होने के लिए नोटिस देगा तथा निर्णय संपुष्ट करेगा ।

(2) यदि यथा उपरोक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि को पक्षकार अधिकरण के सम्मुख पेश हो जाते हैं तथा सुलह अधिकारी के सम्मुख हुआ निर्णय संपुष्ट हो जाता है तो अधिकरण ऐसे निर्णय में यथा सहमत अन्तिम आदेश पारित करेगा ।

13. अन्य मामलों में अधिकरण द्वारा कार्यवाही

(1) यदि

- (i) आवेदक तथा विरोधी पक्षकार नियम-10 के अनुसार सुलह अधिकारी को अपने विवाद के संदर्भ के लिए सहमत नहीं होता/होते हैं, या
- (ii) नियम '10 के अधीन नियुक्त सुलह अधिकारी नियम-11 के उप नियम - 3 के अधीन दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य निर्णय करने की असमर्थता संप्रेषित करते हुए रिपोर्ट भेजता है, या
- (iii) सुलह अधिकारी से एक मास की नियत समयावधि के भीतर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती है, या
- (iv) नियम-12 के उप नियम (1) के अधीन जारी किये गए नोटिस के उत्तर में सुलह अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए निर्णय को संपुष्ट करने में एक या दोनों पक्षकार इंकार करते हैं।

तो अधिकरण दोनों पक्षकारों को अपने-अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य देने के लिए अवसर प्रदान करेगा तथा धारा-8 की उपधारा (1) में यथा उपबन्धित संक्षिप्त जाँच के बाद ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे। अधिकरण साक्ष्य ज्ञापन- पत्र के रूप में ले सकता है।

(2) नियम-7 तथा नियम-8 के अधीन या उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन पारित कोई आदेश अधिकरण द्वारा यथा विनिश्चित मामले के तथा आदेश के लिए कारण देते हुए सहकारण आदेश करेगा ।

(3) उप नियम (1) के अधीन आदेश पारित करते समय आवेदक को भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए विरोधी पक्षकार को निर्देश देते हुए अधिकरण निम्नलिखित पर विचार करेगा-

- (क) आवेदक द्वारा उसकी मूल जरूरतों विशेष रूप से भोजन, कपड़े, आवास तथा स्वास्थ्य देख-भाल के लिए जरूरी राशि

(ख) विरोधी पक्षकार की आय

(ग) आवेदक की सम्पत्ति यदि कोई है का मूल्य तथा उसे वास्तविक तथा संभावित आय जो विरोधी पक्षकार को विरासत में आएगी तथा/या के कब्जे में है,

(4) पारित प्रत्येक आदेश, चाहे अन्तिम या अन्तरिम हो की प्रति आवेदन पर आवेदक (आवेदकों) तथा विरोधी पक्षकार या उसके प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप में दी जाएगी या उनकी आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी।

14. अधिकतम भरण-पोषण भत्ता

अधिकतम भरण-पोषण भत्ता जो अधिकरण विरोधी पक्षकार को भुगतान की अधीन ऐसी रीति से नियत किया जायेगा कि विरोधी पक्षकार के सभी स्रोतों से आवेदक या आवेदकों में विरोधी पक्षकार परिवार के सदस्यों की गणना करते हुए उसके परिवार के व्यक्तियों की संख्या द्वारा विभक्त करते हुए मासिक आय से अधिक नहीं है। यह राशि 10,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।

अध्याय -III

अपील अधिकरण की प्रक्रिया

15. अपील का प्ररूप

धारा- 16 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्ररूप 'झ' में अपीलकरण के समक्ष दायर की जाएगी तथा भरण-पोषण अधिकरण के प्रतिवादी आदेश की प्रति के साथ होगी।

16. अपील की पंजीकरण तथा पावती

अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकरण, प्रयोजन के लिए अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टर में ऐसे प्ररूप में जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, इसे पंजीकृत करेगा तथा ऐसी अपील को पंजीकृत करने के बाद अपीलार्थी को अपील की संख्या तथा प्ररूप 'ज' में सुनवाई की अगली तिथि विनिर्दिष्ट करते हुए पावती देगा।

17. प्रतिवादी को सुनवाई का नोटिस

(1) अपील की प्राप्ति पर, अपील अधिकरण मामले को पंजीकृत करने तथा अपील संख्या देने के बाद प्ररूप 'ट' में अपनी मुद्रा तथा हस्ताक्षराधीन प्रतिवादी पर कारण नोटिस तामील करेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन नोटिस पावती देय के साथ पंजीकृत डाक द्वारा आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से जारी किया जाएगा।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-V को उपबन्ध, उप-नियम (1) के अधीन जारी नोटिस की तामील के प्रयोजनों के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

अध्याय -IV

धारा- 19 के अधीन स्थापित वृद्ध आश्रमों के प्रबन्धन के लिए योजना

18. गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्ध आश्रमों के प्रावाधान के लिए योजना

(1) धारा-19 के अधीन स्थापित वृद्ध आश्रम निम्नलिखित सन्निधियों तथा मानकों के अनुसार चलाये जायेंगे।

(क) गृह में भौतिक सुविधाएं होगी तथा अनुसूची में अधिकथित कार्यान्वयन मानकों के अनुसार चलाए जाएंगे।

(ख) गृह के संवासी निम्नलिखित के अनुसार चयनित किये जाएंगी:-

(1) आवेदन समुचित अन्तरालों पर, किन्तु प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार गृह में रखने के इच्छुक, अधिनियम की धारा -19 में तथा परिभाषित गरीब वरिष्ठ नागरिकों से मांगे जायेंगे।

(2) यदि किसी अवसर पर मात्र आवेदकों की संख्या गृह में प्रवेश के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या से अधिक है तो संवासियों का चयन निम्नलिखित रीति में किया जाएगा:-

(i) अधिक गरीब तथा जरूरतमंद को कम करीब से अधिमान दिया जाएगा

(ii) अन्य बात बराबर होने पर, बड़े वरिष्ठ नागरिकों को कम बुढ़े से अधिमान दिया जाएगा

(iii) अन्य बातें बराबर होने पर महिला आवेदक को पुरुष आवेदक से अधिमान दिया जाएगा तथा

अनपढ़ तथा/या बहुत अशक्त वरिष्ठ को किसी विधिवत आवेदन के बिना भी प्रवेश दिया जाएगा। यदि जिला मजिस्ट्रेट या प्रयोजन के लिए उस द्वारा पदाभिहित अन्य सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि हो जाती है कि वरिष्ठ नागरिक विधिवत आवेदन करने की स्थिति में नहीं है किन्तु आश्रम की बुरी तरह आवश्यकता में है;

(3) आवेदनों या प्रवेश के मामलों पर विचार करते समय, धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा

(4) गृह पुरुष तथा स्त्री को पृथक आवास उपलब्ध करवाएगा जब तक कि पुरुष तथा स्त्री संवासी या तो रक्त संबंधी न हो या विवाहित दम्पति न हो

(5.) वृद्ध आश्रम के दिन-प्रतिदिन के क्रिया-कलाप प्रबन्धन समिति द्वारा प्रबन्धित किए जाएंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा मार्ग-दर्शकों के अनुसार गठित की जाएगी तथा, संवासी समिति का उचित रूप से प्रतिनिधित्व करेंगे।

(2) राज्य सरकार उप नियम (1) में यथा अधिकथित सन्निधियों तथा मानकों के अनुसार वृद्ध आश्रमों में प्रवेश तथा प्रबन्धन के लिए समय-समय पर विस्तृत मार्गदर्शन आदेश जारी करेगी ।

अध्याय -V**उपायुक्त के कर्तव्य तथा शक्तियाँ****19. उपायुक्त के कर्तव्य तथा शक्तियाँ**

(1) उपायुक्त उप नियम (2) एवं (3) में वर्णित कर्तव्य का पालन तथा शक्तियों का प्रयोग या सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि अधिनियम के उपबन्ध उस जिले में उचित रूप से कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

(2) उपायुक्त का

- (i) यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि जिले के वरिष्ठ नागरिकों का जीवन तथा सम्पत्ति सुरक्षित है तथा वे सुरक्षा तथा सम्मान से रहने के योग्य हैं
- (ii) भरण-पोषण अधिकरणों तथा भरण-पोषण और अधिकरणों के आदेश के निष्पादन के लिए आवेदनों का समय पर तथा उचित निष्पादन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिले के भरण-पोषण अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करने तथा मॉनीटर करने का कर्तव्य होगा
- (iii) जिले में वृद्धाश्रम के कार्य का निरीक्षण करने तथा मॉनीटर करने का कर्तव्य होगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वे इन नियमों में अधिकथित मानकों तथा राज्य सरकार की किन्हीं अन्य निर्देशिकाओं तथा आदेशों के अनुरूप हैं;
- (iv) अधिनियम के उपबन्धों तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यक्रमों की नियमित तथा विस्तृत प्रचार को सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा;
- (v) जिले में कार्यरत पंचायतों, नगपालिकाओं, नेहरु युवा केन्द्रों, शैक्षणिक संस्थाओं तथा विशेष रूप से उनकी राष्ट्रीय सेवा स्कीम यूनिटों, संगठनों, विशेषज्ञों, एक्सपर्टों, सक्रियतावादियों इत्यादि को प्रोत्साहित तथा समन्वित करने का कर्तव्य होगा ताकि उनके स्रोत तथा प्रयास जिले के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रभावकारी हों;
- (vi) प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य आपात घटनाओं में वरिष्ठ नागरिकों को समय पर सहायता तथा राहत उपलब्ध करवाने के लिए सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा;
- (vii) विभिन्न विभागों तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बद्ध, ऐसे नागरिकों की जरूरतों के प्रति स्थानीय निकायों के अधिकारियों के समय-समय पर सुग्राहीकरण को सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा तथा परवर्ती के प्रति अधिकारियों का कर्तव्य होगा;
- (viii) उन शहरों में जहाँ पुलिस आयुक्त है, के सिवाए जिले में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों के अन्वेषण तथा विचारण की प्रगति की समीक्षा करने का कर्तव्य होगा;
- (ix) यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि भरण-पोषण के लिए विहित आवेदन प्रारूपों की पर्याप्त संख्या नागरिकों के लिये सामान्य संविदा के कार्यालय जैसे पंचायत, डाकघर, प्रखण्ड विकास कार्यालय, तहसील कार्यालय, कलेक्टर, पुलिस थानों इत्यादि में उपलब्ध है;
- (x) वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला मुख्यालयों पर हेल्पलाइन शुरू करने के लिये स्थापनाओं को उन्नत करने का कर्तव्य होगा;

(xi) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने का कर्तव्य होगा जो राज्य सरकार आदेश द्वारा, समय-समय पर, इस निमित्त उपायुक्त को सौंपे जाये।

(3) उप-नियम (2) में वर्णित कर्तव्य का पालन करने की दृष्टि से उपायुक्त ऐसे निर्देश जारी करने के लिये सक्षम होगा, जो अधिनियम, इन नियमों तथा जिले में कार्यरत किसी संबंधित सरकार या संवैधानिक अभिकरण या निकाय के लिए यथा आवश्यक राज्य सरकार की सामान्य मार्गदर्शिका तथा विशेष रूप से निम्नलिखित के लिये:-

- (क) पुलिस, स्वास्थ्य तथा प्रचार विभागों में राज्य सरकार के कार्यालय तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित विभाग;
- (ख) भरण-पोषण अधिकरण तथा सुलह अधिकारी;
- (ग) पंचायत तथा नगरपालिका; और
- (घ) शैक्षणिक संस्था ।

अध्याय -VI

वरीय नागरिकों की जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा

20. वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति के संरक्षण के लिए कार्य योजना

(1) जिला पुलिस अधीक्षक को झारखण्ड सरकार द्वारा वरीय नागरिकों की जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए समय-समय पर जारी किये गये मार्ग-निर्देश के आलोक में सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए ।

(2) आमतौर पर उप नियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-

- i. प्रत्येक पुलिस स्टेशन अपने क्षेत्राधिकार के भीतर रहने वाले वरीय नागरिकों की एक अद्यतन सूची तैयार करेगा, विशेष कर जो लोग स्वयं द्वारा रह रहे हैं, अर्थात् वहाँ उनके घर में किसी भी वरीय नागरिक के सदस्य नहीं है ।
- ii. नियमित अंतराल पर कम से कम महीने में एक बार पुलिस स्टेशन के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता अथवा स्वयं सेवक के साथ इस तरह के वरिष्ठ नागरिकों के घर का दौरा करेंगे एवं उन लोगों से सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर जल्द से जल्द दौरा करेंगे ।
- iii. स्थानीय पुलिस द्वारा वरीय नागरिकों की समस्याओं की शिकायतों पर तुरन्त भाग लिया जाएगा ।
- iv. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक से अधिक स्वयं सेवक समिति गठित किया जाएगा, जो नियमित रूप से वरीय नागरिकों से सम्पर्क निश्चित करेंगे विशेषकर एक तरफ से खुद से रहने वाले लोगों के लिए एवं दूसरे तरफ से पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा वरीय नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए ।
- v. जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यापक रूप से वरिष्ठ नागरिकों का जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गये कदमों का मीडिया में और पुलिस थानों के माध्यम से नियमित अंतराल पर प्रचारित किया जाएगा ।

- vi. झारखण्ड सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश के तहत वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ प्रतिबद्ध, अपराधों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विवरण से युक्त एक अलग पंजी सभी पुलिस स्टेशन रखेगा।
- vii. खण्ड (VI) में उल्लिखित पंजी सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जाएगा और पुलिस स्टेशन को निरीक्षण करने वाले प्रत्येक पदाधिकारी पंजी के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेगा।
- viii. पुलिस थाना हर महीने की 10वीं तारीख तक ऐसे अपराधों की मासिक रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक को समर्पित करेगा।
- ix. वरीय नागरिकों द्वारा अनुसरण किये जा रहे नियम को उनके सुरक्षा हेतु व्यापक रुपये प्रचारित किया जाएगा।
- x. वरीय नागरिकों के अनुरोध पर उनके साथ काम करने वाले घरेलु नौकरों का पूर्ववृत्त तुरंत सत्यापित किया जाएगा।
- xi. वरिष्ठ नागरिकों के सुरक्षा पुलिस द्वारा पड़ोस में रहने वाले नागरिकों निवासी कल्याण संघों, युवा स्वयं सेवक, गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा।
- xii. जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस महानिदेशक एवं उपायुक्त को प्रत्येक माह की 20वीं तारीख तक पिछले माह के दौरान वरीय नागरिकों के विरुद्ध अपराधों की स्थिति के साथ जाँच की प्रगति एवं पंजीकृत अपराधों एवं माह के दौरान उठाए गए सुरक्षात्मक कदमों का मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा
- xiii. नियम-22 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय सह मॉनिटरिंग समिति के समक्ष उपायुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
- xiv. पुलिस महानिदेशक खण्ड (xii) के अधीन प्रस्तुत प्रतिवेदन को तीन माह में एक बार संकलित करेंगे और उन्हें प्रत्येक तिमाही एवं प्रत्येक वर्ष झारखण्ड सरकार को प्रस्तुत करेंगे जिसे नियम- 21 के अन्तर्गत गठित झारखण्ड वरीय नागरिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा धारा-22 (2) के अधीन कार्य योजना अधिसूचित की जायेगी तथा इसे समय -समय पर संशोधित किया जा सकता है।

अध्याय -VII

वरिष्ठ नागरिकों के राज्य परिषद् तथा जिला समिति

21. वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद

(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, राज्य सरकार को अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये सलाह देने के लिये तथा वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य कृत्यों के निर्वहन के लिये वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद् स्थापित कर सकती है।

(2) राज्य परिषद् निम्नलिखित को मिलाकर बनाई जायेगी, अर्थात:-

- | | | |
|-------|--|---------------|
| (i) | समाज कल्याण मंत्री: | पदेन, अध्यक्ष |
| (ii) | प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/गृह विभाग/सूचना जन सम्पर्क विभाग तथा पेंशन एवं अन्य मामले से संबंधित विभाग | पदेन सदस्य |
| (iii) | राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञ तथा सक्रियतावादी हैं: | सदस्य |
| (iv) | राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक: | सदस्य |
| (v) | निदेशक, समाज कल्याण | सदस्य सचिव |

(3) राज्य परिषद् छह मास में कम से कम एक बैठक करेगी ।

(4) राज्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि, पदेन सदस्यों, परिषद् की नियम प्रक्रिया तथा अन्य सहायता मामलों से भिन्न, दो वर्ष की अवधि के लिये होगी ।

22. वरिष्ठ नागरिकों की जिला समिति

(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा जिला स्तर पर अधिनियम के लागूकरण को प्रभावी बनाने तथा समन्वित करने के लिये सलाह देने के लिये तथा जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट ऐसे अन्य कृत्यों के निर्वाहन के लिये प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों की जिला समिति स्थापित कर सकती है।

(2) जिला समिति प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक करेगी।

(3) जिला समिति की संरचना, सदस्यों की पदावधि (पदेन-सदस्यों, नियम प्रक्रिया तथा अन्य सहायक मामलों से भिन्न) ऐसी होगी जो राज्य सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

प्ररूप- क

[देखीय नियम 4 (1) और (3)]

अधिनियम की धारा 5 (1) (क) तथा (ख) के अधीन भरण-पोषण के लिए आवेदन

उप मण्डल.....

जिला.....

1. आवेदक का नाम:
2. पिता/पति का नाम:
3. पूर्ण डाक पता:

गाँव.....सड़क.....

वार्ड संख्या.....

पुलिस स्टेशन.....

डाकखाना.....पिन कोड.....

जिला.....

4. बच्चों/ रिश्तेदारों के नाम जिनसे भरण-पोषण हेतु दावा किया है:

5. बच्चों/ रिश्तेदारों का वर्तमान पता:

गाँव.....सड़क.....

वार्ड संख्या.....

पुलिस स्टेशन.....

डाकखाना.....पिन कोड.....

जिला.....

6. बच्चों/रिश्तेदारों का स्थाई पता:

गाँव.....सड़क.....

वार्ड संख्या.....

पुलिस स्टेशन.....

डाकखाना.....पिन कोड.....

जिला.....

7. बच्चों/रिश्तेदारों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय:

8. आदेश के विवरण जिनके विरुद्ध वर्तमान अपील दायर की जा रही है:

9. अपील के आधार:

10. सहायता जिसके लिये प्रार्थना की गई है:

11. अंतरिम प्रार्थना, यदि कोई है:

सत्यापन

आवेदक

मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास से सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा कथित किये गये उपरोक्त कथन सत्य हैं और इनके सत्यापन हेतु मैं अपने हस्ताक्षर अंकित करता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप- ख
[देखीयनियम4 (2)]
पावती

श्रीमती/श्री/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/श्रीमती/श्री/कुमारी.....से
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा-5 की उपधारा
(1) के अधीन आवेदन-पत्र की चार प्रतियाँ प्राप्त की गई, जिन्हें पंजीकृत किया गया है तथा आवेदन
संख्या.....दिया गया है ।

मोहर सहित हस्ताक्षर

प्ररूप- ग

[देखीय नियम 6 (1)]

पीठासीन अधिकारी, भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष

श्री/श्रीमती.....	आवेदन संख्या.....
	वादी
	बनाम
श्री/श्रीमती.....	प्रतिवादी

कारण बताओं नोटिस

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 (1) के अधीन भरण-पोषण के लिए आवेदन, जिसमें आपको प्रतिवादी के तौर पर शामिल किया गया है, की प्रति संलग्न है: अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इसके द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र की सुनवाई प्राप्त..... बजे..... दिनांक को नियम हुई है और यदि आप इस आवेदन-पत्र के उत्तर में कुछ कहने के इच्छुक हो, तो उस तिथि को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हों, और इस निमित्त सम्यक् रूप से अनुदिष्ट अपना लिखित कथन नियत तिथि से तीन दिन पूर्व स्वयं या किसी अधिवक्ता के माध्यम में दायर करें।

ध्यान रहे कि यदि आप उपर्युक्त वर्णित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो आवेदन-पत्र की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर लिया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा अधिकरण की मोहर सहित वर्ष के.....दिन को दिया गया है।

भरण-पोषण अधिकरण के आदेश द्वारा.....

मोहर सहित हस्ताक्षर

प्ररूप- घ

**[देखीय नियम 6 (3),
पीठासीन अधिकारी, भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष**

श्री/श्रीमती.....	आवेदन संख्या.....	वादी
	बनाम	
श्री/श्रीमती.....		प्रतिवादी

नोटिस

आप द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5(1) के अधीन अधिकरण के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किया है।

और चूँकि, अब आवेदन -पत्र पर अधिकरण द्वारा प्राप्त.....दिनांक.....को सुनवाई नियमित की गई है।

और चूँकि, अब यदि अपने आवेदन-पत्र में अंकित तथ्यों के पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अधिकरण के समक्ष नियत तिथि को या स्वयं या सम्यक् रूप से अनुदिष्ट किसी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों।

अब ध्यान रहे कि यदि आप उपर्युक्त वर्णित तिथि पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में रहते हुये निर्णय कर दिया जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा अधिकरण की मोहर सहित वर्ष के.....दिन को दिया गया है।

भरण-पोषण अधिकरण के आदेश द्वारा.....

मोहर सहित हस्ताक्षर

प्ररूप-

[देखीय नियम 10 (3)]

पीठासीन अधिकारी, भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष

आवेदन संख्या.....

सेवा में,

.....

.....

विषय:- आवेदन संख्या.....(.....बनाम.....)

चूँकि, आवेदन माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किया है।

और चूँकि, सन्दर्भित आवेदन पत्र पर सुनवाई तिथि..... को नियत थी,

और चूँकि, विरोधी पक्षकार को प्ररूप ग में दिये नोटिस के पक्ष में, विरोधी पक्षकार उपस्थित हुये और भरण-पोषण दावे के विरुद्ध कारण बताये गये हैं।

और चूँकि, अब, अधिकरण द्वारा दोनों पक्षकारों की उस निमित्त राय मांगी गई कि क्या वह चाहेंगे कि मामले को सुलभ अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाये।

और चूँकि, दोनों पक्षकार नियम-5 के अधीन तैयार किये गये पैनल में शामिल किसी व्यक्ति को या दोनों पक्षों को स्वीकार्य मामला किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाये अब दोनों पक्षकार आपको उपरोक्त मामले में सुलभ अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए सहमत हो गये हैं।

अब इस पत्र के माध्यम से आपसे अनुरोध किया जाता है कि दोनों पक्षों की स्वीकार्य समझौते के लिए संदर्भ प्राप्ति के अनधिक एक मास के भीतर प्रयत्न तथा निपटान किया जाये। आवेदन पत्र तथा विरोधी पक्षकार के उत्तर की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न हैं।

पीठासीन अधिकारी
भरण-पोषण अधिकरण

प्ररूप- च

[देखीय नियम 11 (2)]

समझौता का ज्ञापन

स्वीकार्य ज्ञापन पर आज वर्ष.....के.....दिन को दोनों पक्षों के मध्य श्री/श्रीमती.....(जिसे, इसमें, इसके बाद, प्रथम पक्षकार निर्दिष्ट किया गया है) तथा श्री/श्रीमती.....(जिन, इसमें, इसके बाद, द्वितीय पक्षकार निर्दिष्ट किया गया है) पर निर्णय हुआ।

और चूँकि, माननीय भरण-पोषण अधिकरण द्वारा मुझे सुलह अधिकारी के रूप में पदाभिहित करते हुये दोनों पक्षों को स्वीकार्य ज्ञापन तैयार करने के लिये आदेश दिनांक..... द्वारा निर्देश दिये गये;

और चूँकि, अब सुलह अधिकारी के भरसक प्रयत्न से दोनों पक्षकारों ने समझौते के ज्ञापन के विभिन्न निबन्धनों तथा शर्तों से निम्नानुसार सहमति व्यक्त की गई:-

अब इसलिये, इन पक्षों द्वारा सहमति दी गई तथा समझौते का ज्ञापन निम्न प्रकार से है:-

1. यदि कि द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार को जीवन की ऐसी आवश्यक सुविधायें जैसे कि आवास, भोजन, वस्त्र चिकित्सा सुविधायें आदि देने के लिये सहमत हो गये हैं जो उसके सामान्य जीवन यापन के लिये द्वितीय पक्षकार को दी जायेगी।

2. यदि कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्षकार को जेब खर्च तथा दिन प्रतिदिन के खुदरा खर्च हेतु.....रुपये की राशि देगा। यह.....के माध्यम से प्रत्येक माह की.....तिथि को भुगतान की जायेगी।

3. यह कि यदि किसी स्तर पर द्वितीय पक्षकार उपरोक्त खण्ड (1) में यथा वर्णित सुविधाओं को उपलब्ध कराने में असफल रहता है तब द्वितीय पक्षकार..... रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण भत्ते के रूप में प्रथम पक्षकार को देगा। यह राशि..... के माध्यम से प्रत्येक माह की..... तिथि को भुगतान की जायेगी।

4. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा यकीन दिलाया गया है कि यदि समझौते ज्ञापन के निबन्धन तथा शर्तों की पालन में असफल होता है तो द्वितीय पक्षकार के विरुद्ध माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन तथा समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्रवाई की जायेगी

टिप्पणी: समझौते के सभी अन्य निबन्धन तथा शर्तें भी शामिल करें।

पक्षकारों द्वारा समझौता ज्ञापन उन द्वारा वर्णित तिथि को हस्ताक्षरित किया गया और ये सभी पक्षकारों के हस्ताक्षरों की तिथि से प्रभावी होंगे।

दोनों पक्षों द्वारा गवाहों को उपस्थिति में समझौता किया गया।

प्रथम पक्षकार

द्वितीय पक्षकार

सुलह अधिकारी

गवाह संख्या-1

गवाह संख्या-2

प्ररूप-छ

[देखीय नियम 11 (2)]

पीठासीन अधिकारी, भरणपोषण अधिकरण के समक्ष-

आवदेन संख्या.....

श्री.....श्रीमती/ वादी

बनाम

श्री/श्रीमती..... प्रतिवादी

रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

आदर सहित शपथ:-

1. यह कि माननीय अधिकरण द्वारा अधोहस्ताक्षरी को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, के उपबन्धों के अधीन सुलह अधिकारी द्वारा पदाभिहित किया गया था।
2. यह कि माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक-..... द्वारा निर्देश दिये गये समझौता करवाया जाये, जो दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य हो तथा समझौता ज्ञापन तैयार करवाया जाये।
3. यह कि माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक-..... द्वारा अनुसरण में सुलह अधिकारी द्वारा उचित प्रयत्न करते हुये समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है जो दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य है (प्रतियाँ संलग्न)
4. यह कि समझौता ज्ञापन तैयार करने की दशा में अग्रसर होने की विस्तृत रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:-

रिपोर्ट:-

स्थान:-

दिनांक:-

सुलह अधिकार

प्ररूप- ज

[देखीय नियम 11 (3)]

पीठासीन अधिकारी, भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष

आवदेन संख्या.....

श्री/श्रीमती.....

वादी

बनाम

श्री/श्रीमती.....

प्रतिवादी

रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

आदर सहित शपथ:-

1. यह कि माननीय अधिकरण द्वारा पदामिहित अधोहस्ताक्षरी को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, के उपबन्धों के अधीन सुलह अधिकारी नियुक्त किया गया था।
2. यह कि माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक-..... द्वारा निर्देश दिये गये कि दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य सहमति अनुरूप विचार करते हुये सहमति ज्ञापन तैयार किया जाये।
3. यह कि माननीय अधिकरण के आदेशों के अनुसार मैं सुलह अधिकारी द्वारा दोनों पक्षकारों को दिनांक-..... प्रातः 10.00 बजे उनके समझ उपस्थित होने के लिये सम्मन जारी किये गये।
4. यह कि नियत तिथि पद दोनों पक्षकार मेरे समक्ष उपस्थित हुये।
5. यह कि नियत तिथि पर दोनों पक्षकारों का स्वीकार्य समझौता नहीं हो सका। तथापि दोनों पक्षकारों को पुनः दिनांक- तथा.....को उपस्थित होने के सम्मन जारी किये गये। किन्तु किसी समझौते पर नहीं पहुँच जा सका।
6. यह कि मेरे द्वारा प्रयत्न उपरान्त भी दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य नहीं हो सका, जिसके विस्तृत कारण नीचे दिये गये हैं-

(क)

(ख)

7. यह कि निम्न बिन्दुओं में अन्तर के कारण मामले नीचे दिये गये में सुलह नहीं हो सकी-

.....

8. यह कि उपरोक्त कथित तथ्यों के दृष्टिगत मामले की परिस्थितियाँ की अपेक्षा है कि माननीय अधिकरण इस मामले में उचित तथा आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और माननीय अधिकरण से प्राप्त दस्तावेज उसको वापस लौटाये जाते हैं।

स्थान :

दिनांक:

सुलह अधिकारी

मोहर सहित हस्ताक्षर

प्ररूप- झ

[देखीय नियम 6 (1) और (3)]

भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा 16 के अधीन भरण-पोषण के लिए अपील

1. आवेदक का नाम:
2. पिता/पति का नाम:
3. पूर्ण डाक पता:
गाँव.....सड़क.....
वार्ड संख्या.....
पुलिस स्टेशन.....
डाकखाना.....पिन कोड.....
जिला.....
4. बच्चों/ रिश्तेदारों के नाम जिनसे भरण-पोषण हेतु दावा किया है:
5. बच्चों/ रिश्तेदारों का वर्तमान पता:
गाँव.....सड़क.....
वार्ड संख्या.....
पुलिस स्टेशन.....
डाकखाना.....पिन कोड.....
जिला.....
6. बच्चों/रिश्तेदारों का स्थाई पता:
गाँव.....सड़क.....
वार्ड संख्या.....
पुलिस स्टेशन.....
डाकखाना.....पिन कोड.....
जिला.....
7. बच्चों/रिश्तेदारों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय:
8. आदेश के विवरण जिनके विरुद्ध वर्तमान अपील दायर की जा रही है:
9. अपील के आधार:
10. सहायता जिसके लिये प्रार्थना की गई है:
11. अंतरिम प्रार्थना, यदि कोई है:

सत्यापन

अपीलकर्ता

मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास से सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा कथित किये गये उपरोक्त कथन सत्य है और इनके सत्यापन हेतु मैं अपने हस्ताक्षर अंकित करता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप- ज

[देखीय नियम 16]

अपीली अधिकरण के समक्ष

श्रीमती/श्री/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/श्रीमती/श्री/कुमारी.....से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा-16 की उपधारा (1) के अधीन माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशों दिनांक-.....के विरुद्ध प्राप्त अपील की चार प्रतियाँ प्राप्त की गई, जिन्हें पंजीकृत किया गया है तथा अपील संख्या.....दिया गया है। सुनवाई की तिथि-.....को.....बजे नियत की गई है।

मोहर सहित हस्ताक्षर

प्ररूप- ट

[देखीय नियम 17]

अपीली अधिकरण के समक्ष

आवदेन संख्या.....

श्री/श्रीमती.....

वादी

बनाम

श्री/श्रीमती.....

प्रतिवादी

कारण बताओं नोटिस

चूँकि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 16 (1) के अधीन अपीली अधिकरण द्वारा पारित आदेशों दिनांक-.....के विरुद्ध अपील दायर की गई है, जिसमें आप प्रतिवादी के रूप में शामिल हैं, जिसकी प्रति साथ संलग्न है तथा अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि वर्णित अपील पर सुनवाई प्राप्त..... बजे..... दिनांक को नियत की गई है तथा यदि आप अपील में अंकित तथ्यों के उत्तर में कुछ और कहना चाहते हैं, तो अपीली अधिकरण के समक्ष नियत तिथि को या तो स्वयं या किसी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों, और इस निमित्त सम्यक् रूप से अनुदिष्ट नियत तिथि से तीन दिन पूर्व लिखित स्टेटमेंट दायर करें।

ध्यान रहे कि यदि आप नियत तिथि को उपस्थित नहीं होते तो केस की सुनवाई और आपकी अनुपस्थिति में करते हुये निर्णय कर दिया जायेगा।

उपरोक्त मेरे द्वारा अधिकरण की मोहर सहित के..... वर्ष के.....दिन को दिया गया है।

अपीलीय अधिकरण के आदेश से.....(जिला का नाम)

मोहर सहित हस्ताक्षर

सरकार के सचिव,

समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास

विभाग, झारखण्ड, सरकार
